

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्रमांक

फर्द अहकाम


मु. नं. 53/18 तारीख 9-5-18

उपनाम - बालकिशन बनाम रामकृष्ण मीनापे  
सांकराडा

दावा बाबत घोषणाखोतकारी व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 88, 188 RA 1-54

पक्षी की ओर से श्री राममेश सी. सु. प्रा. ए. के. में दावा  
बाबत घोषणाखोतकारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत  
धारा 88, 188 के तहत पेश किया। उमावन्दी का उपलक्षण  
किया गया। दावा दर्ज व जिस्टर कर प्रतिवादी जगदीश  
आर्य से तलब कर दिनांक 9.7.18 को  
पेश हो।

1645-53  
9.5.18

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम

9.7.18 दावा वकील उप. प्रतिवादी नं. 1 ता. 6, 8, 9 बखचूद सुपता  
अ. नं. 1 वी प्रतिवादी नं. 2 का सामान डेपुटी कलक्टर प्रा. वी.  
प. 0. सी. 0. मुद्रण प्र. वी. वी. डेपुटी कलक्टर 30.7.18 को  
पेश हो।

30.7.18 वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी  
पेश है। अतः पत्रावली गतानुसार  
दिनांक 10-8-18 को पेश हो।

10.8.18 वकूलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी  
पेश है। अतः पत्रावली गतानुसार  
दिनांक 13-8-18 को पेश हो।



# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
4.9.18	<p>वकील अभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र 09 R7 पर कर्ज दर्ज करने पर स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध की गई एक पक्षीय कार्यवाही आपास्त की जा रही है। प्रतिवादी नं. 1 से 6 की ओर से पेशा जबब दावा शांति किया। जबब की प्रतिवादी वकील को दिलवाड़ी। प्रतिवादी नं. 2 के वकील ने जबब बन्द कराया। वास्ते कायमी तसकीपात दिनांक 18.9.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
18.9.18	<p>वकलाय उप। गतानुसार दिनांक 27.9.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>
27.9.18	<p>वकील अभय पक्ष उपस्थित। इस वार पत्र से संबंधित प्रार्थना पत्र अस्पष्ट निवेधाना में वकील अभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में वकील अभय पक्ष ने कथन किया कि दावा में वर्णित आराजीपात <del>अपनी</del> के संबंध में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में अपील विचाराधीन है। तथा उस अपील में स्पष्ट आदेश है। अपील में अभी निर्णय पारित होना है अपील विचाराधीन होने से इन्ही खसरा नम्बरों के आवत प्रकरणों में निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा इसलिए प्रकरण दावा। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज कर दिये जाव। वकील अभय पक्ष की बहस सुनी।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्रमांक	फर्द अहकाम	
	<p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। कादपत्र में बर्णित आराजीयात के बावत भ्रान्तीय राजस्व मैडल राज० अजमेर में अपील संख्या 2018/4070 विचाराधीन हैं तथा रिकार्ड एवं प्रोसे की पर्याप्तता बतौर रखने के लिए स्पष्ट है न्यायालय उप जिला कलक्टर अधिनस्थ न्यायालय है राजस्व न्यायालयों का प्रभु राजस्व मैडल राज० अजमेर उच्चतर न्यायालय है विवादित आराजीयात के बावत प्रकरण उच्चतर न्यायालय राजस्व मैडल राज० अजमेर में <sup>अपील</sup> विचाराधीन होने के कारण इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित नहीं पाता है। अतः यह दावा इसी स्तर पर रवारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत हो।</p>	